भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2574
सोमवार, 16 मार्च, 2026 (25 फाल्गुन, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

पंतनगर और जॉली ग्रांट हवाई अड्डों के विस्तार की योजना

2574. श्री महेंद्र भट्टः
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या उत्तराखंड राज्य में पंतनगर और देहरादून (जॉली ग्रांट) हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कोई समयबद्ध योजना विद्यमान है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): हवाईअड्डों पर अवसंरचना का विस्तार और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह समय-समय पर यात्रियों की मांग के पूर्वानुमान, विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए परिचालन अपेक्षाओं और एयरलाइनों की मांग के आधार पर भूमि की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और साथ ही इच्छित विमान परिचालनों से संबंधित अन्य सुविधाओं के आधार पर किया जाता है।

देहरादून में जॉली ग्रांट हवाईअड्डे के विस्तार के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने राज्य सरकार से 140.5 एकड़ भूमि का अनुरोध किया है।

पंतनगर हवाईअड्डे के लिए, एएआई ने लगभग 8500 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए विकास कार्य आरंभ किया है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 1.01 मिलियन यात्री (एमपीपीए) है, साथ ही मौजूदा रनवे को 3000 मीटर तक विस्तार किया जाना है, जो ए321 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त है, साथ ही इसमें एप्रन, टैक्सीवे, परिधि सड़क और बाउंड्री वॉल का निर्माण जैसे संबद्ध कार्य भी शामिल हैं।

हवाईअड्डा परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन, आदि पर निर्भर करती है।
